क्षेत्र विकास योजना के लिए धनराशियों का समय पर आबंटन होने के बावजूद मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने उन धनराशियों को 1995-96 में संसद सदस्यों द्वारा सुझायी गई योजनाओं पर खर्च करने की बजाय उनका दुरुपयोग किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1995-96 के लिए अनुमोदित लोक निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या यह धनराशि प्रशासन के विवेकानुसार अन्य कार्यों पर खर्च की गई है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित प्रशासन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम): (क) जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि वर्ष 1995-96 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत धनराशियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(ख) जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 में इंदौर जिले में माननीय सांसद की अनुशंसा पर 43 कार्यों को स्वीकृत दी गई थी। उनमें से 10 कार्य पूरे हो चुके हैं, 26 कार्य चल रहे हैं और बाकी बचे हुए 7 कार्यों में कार्यान्वयन अभिकरण के बदलने, निधियों के अपर्याप्त होने एवं कार्य-स्थल से संबंधित विवादों जैसे कारणों से देरी से हुई है।

(ग) इंदौर के जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी ने माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा पर अन्य योजनाओं से संबंधित कुछ कार्यों को मंजूरी प्रदान की थी तथा माननीय संसद सदस्य की मौखिक सहमति से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के द्वारा जनहित में कुछ कार्यों को मंजूरी दी गई थी। उपर्युक्त की सूचना माननीय संसद सदस्य को भी जिलाधिकारी द्वारा जून, 1996 में लिखित तौर पर दे गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Subsidisation of Power and Irrigation Tariffs

*369. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have set up an internal Expert Committee viz. Gokak Pandit Committee, to examine the issue regarding heavy subsidisation of power and irrigation tariffs by the State Governments;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the extent of subsidy per unit for power and irrigation, State-wise, and the total burden thereof; and

(d) whether the State Governments have been directed to revise power/ irrigation tariffs and if so, the details of action taken thereon by the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The Gokak-Pandit Committee was not set up by Government to examine the issues regarding heavy subsidising of power and irrigation tariffs by the State Government.

(b) to (d) Does not arise.

विन्ध्याचल विद्युत परियोजना के लिए अधिगृहीत की गयी फालतू भूमि का उपयोग

*370. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एन०टी०पी०सी० विन्ध्याचल विद्युत परियोजना के 2260 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहण की गयी कुल भूमि में से कितने एकड़ भू-क्षेत्र का पावर हाउस, टाउनशिप, एश-पाइप लाइन और एश-डाइक के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस भूमि में से लगभग 2500 एकड़ भू-क्षेत्र पर बाहरी अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यकता से अधिक भूमि के अधिग्रहण से हजारों परिवारों के बेघर हो जाने के अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक जीवन दशा और मूल पारिस्थितिक प्रणाली पूरी तरह से नष्ट कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पिछले 12 वर्षों से उपयोग में नहीं लाई जा रही भूमि का उपयोग करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना (वीएसटीपीपी) के लिए 6178 एकड़ भूमि अधिगृहीत की है। अधिगृहीत भूमि को निम्नलिखित विद्युत संयंत्र सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है:

1.	विद्युत केन्द्र (विद्यमान/ निर्माणाधीन/प्रस्तावित विस्तार	3050 एकड़
2.	नगर क्षेत्र	678 एकड़
3.	राख-नहर तथा राख पाइप लाइन गलियारा और सिंगरौली राख नहर विस्तार	2001 एकड़
4.	हरित पट्टी	314 एकड़
5.	एचवीडीसी बैक-टूल-बैक स्विचयार्ड	135 एकड़

(ख) राख नहर विस्तार (1900 एकड़) तथा हरित पट्टी (300 एकड़) के लिए उद्दिष्ट लगभग 2200 एकड़ भूमि पर निवासियों का गैर-कानूनी कब्जा है। यद्यपि अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भूमि खाली करने के आदेश तथा उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा विशेष अनुमति याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25.1.1997 को खारिज कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भूमि का अधिग्रहण वीएसटीपीपी के प्रस्तावित एवं भावी विस्तार एचवीडीसी स्विचयार्ड एवं इस विस्तृत परियोजना के पूर्ण कार्यकाल के लिए अपेक्षित राख निपटान क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है।

विद्यमान विन्ध्याचल परियोजना के कारण वायु तथा जल प्रदूषण के वर्तमान स्तर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा विनिर्धारित पर्यावरणीय मानकों के भीतर ही हैं। इस परियोजना के चरण-2 के तहत 500-500 मे०वा० की दो यूनिटों के प्रचालन के साथ भी इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली पर किसी तरह के विपरीत प्रभाव की प्रत्याशा नहीं है।

सभी वासभूमि निष्कासितों को पुनर्वास कालोनी में मुफ्त प्लाट आवंटित किए गए हैं अथवा प्लाटों के स्थान पर उन्हें अपनी इच्छा के स्थान पर बसने के लिए नकद मुआवजा दिया गया है तथा इस क्षेत्र के निवासियों को जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनेक अन्य उपाय शुरू किए गए हैं।

Extension of time by HUDCO for paying instalments

*371. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE:
SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that HUDCO has adopted a dual policy in extending the time for payment of instalments for its project at Andrews Ganj;

(b) whether it is also a fact that one of the parties, M/s. Ansal Builders, have been given possession of land and extension of time for payment of second instalment, while the other tenderer, M/s. M.S. Shoes, have neither been given possession of land nor extension for payment of second instalment, inspite of initial payment of Rs. 70 crores collected from banks and the public; and

(c) if so, what are the reasons therefor and what action is being taken to ensure equal treatment to M/s. M.S. Shoes by HUDCO?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir. The cases referred to are not similar in nature. The extension of time for payments for projects in Andrews Ganj has been operated, keeping in view the conditions specified in the brochure inviting offers, the specific terms and conditions of allotment, compliance thereof and other relevant factors.